दिनांक:12-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नांगल पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की गई 01 मोटर साइकिल मय फर्जी नम्बर प्लेट व 02 अवैध छूरी बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/नकबजनी/वाहन चोरी आदि आपराधिक घटानाओं एवं इनमे संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार चैकिंग व गश्त की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक नांगल श्री संजय कुमार के कुशल नेतृत्व मे थाना नांगल पुलिस द्वारा आज दिनाँक 12.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर गश्त व चैकिंग के दौरान दो अभियुक्तगण ***1. नीशू उर्फ मैंगो पुत्र विनोद सैनी निवासी रामदास उर्फ नागल निकट एमएलडी पब्लिक स्कूल के पीछे थाना नागल जनपद सहारनपुर 2. शाहरूख पुत्र समयदीन निवासी शाहरफ वाली कालोनी कस्बा व थाना नागल जनपद सहारनपुर*** *को मुजफ्फरनगर-सहारनपुर हाईवे से फतेहपुर कलां को जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से* ***01 मोटरसाइकिल हीरो स्पलैण्डर रंग काला मय फर्जी नम्बर प्लेट व 02 छूरी नाजायज*** *बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरमादगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना नागल पर पर मु0अ0सं0 241/26 धारा 317(5)/336(2) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधि0 पंजीकृत किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्तो ने पूछताछ के दौरान बताया गया कि हम दोनो दोस्त है तथा अपने शौक पूरा करने के लिए दोनो मिलकर चोरी करते है तथा अपने बचाव मे अपने पास छूरी भी रखते है। चोरी की मो0सा0 पर फर्जी नम्बर फ्लेट लगा देते है। चोरी के माल को बेंचकर जो पैसे मिलते है, उससे हम अपने शौक पूरा करते है। हमसे जो मो0सा0 आपको मिली है, यह हम दोनो ने मिलकर कुछ दिन पहले ही देहरादून से चोरी की थी। आज हम दोनो इस मो0सा0 को बेंचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने हमे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. *नीशू उर्फ मैंगो पुत्र विनोद सैनी निवासी रामदास उर्फ नागल निकट एमएलडी पब्लिक स्कूल के पीछे थाना नागल जनपद सहारनपुर।*
2. *शाहरूख पुत्र समयदीन निवासी शाहरफ वाली कालोनी कस्बा व थाना नागल जनपद सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरणः-

- *01 मोटर साइकिल स्पलैण्डर रंग काला मय फर्जी नम्बर प्लेट UK 07AE 4177*
- *02 छूरी नाजायज*

अभियुक्त नीसू उर्फ मैंगो का आपराधिक इतिहासः-

1. *मु0अ0सं0 256/2025 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर।*
2. *मु0अ0सं0 300/2024 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर।*
3. *मु0अ0सं0 297/2024 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर।*
4. *मु0अ0सं0 274/2024 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस थाना नागल सहारनपुर।*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नामः-</u>

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना नांगल जिला सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री नवीन जयन्त थाना नांगल जिला सहारनपुर ।*
3. *है0का0 914 रणजीत सिंह थाना नागल सहारनपुर ।*
4. *का0 2337 कृष्णा गोपाल थाना नांगल जिला सहारनपुर ।*

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

दिनांक 12.08.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11/08/2026 को 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **शाहिद पुत्र रफी निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को कस्बा गंगोह से बुड्डाखेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त **के कब्जे से** 21 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 380/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त **शाहिद** उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

*पूछताछ करने पर पर अभियुक्त **शाहिद** द्वारा बताया गया कि मै स्मैक का नशा करता हूँ तथा स्मैक बेचने का काम करता हूँ आज मै इसे बेचने के लिये जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

शाहिद पुत्र रफी निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः-

- *अवैध स्मैक कुल वजन 21 ग्राम*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 220/15 धारा 3/5A/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 239/15 धारा 147/148/149/307/323/324/452/506 भादवि थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 583/15 धारा 3/5A/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 563/16 धारा 5A/8 गौवध अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 170/17 18/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 369/21 धारा 21,29,8 एनडीपीएस एक्ट थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>-

1. *उ0नि0 आजाद सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 321 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *है0का0 12 अंकुश गोदारा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
4. *है0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

"ऑपरेशन सवेरा"

दिनांक 12.08.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*अभियान के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11/08/2026 को 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **तन्जीम उर्फ बिल्लू पुत्र शराफत निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को निर्माणाधीन हाईवे पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त तन्जीम के कब्जे से कुल 25 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुयी। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 381/26 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त तन्जीम उर्फ बिल्लू उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

पूछताछ पर अभियुक्त तन्जीम उर्फ बिल्लू द्वारा बताया गया कि मै स्मैक का नशा करता हूँ तथा स्मैक बेचने का काम करता हूँ आज मै इसे बेचने के लिये जा रहा था कि आपने मुझे पकड लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

तन्जीम उर्फ बिल्लू पुत्र शराफत निवासी ग्राम बुढनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- *अवैध स्मैक कुल वजन 25 ग्राम*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. *उ0नि0 दीपक राठी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
2. *है0का0 1297 राहुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*
3. *रि0का0 921 कपिल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*

दिनांक:12-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाकं 05.08.2026 को वादिया द्वारा थाना गंगोह पर एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अंकुश पुत्र आसकिरण निवासी मौहल्ला सराय कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर द्वारा वादिया की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में थाना गंगोह पर मु0अ0स0 371/2026 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया । विवेचना के दौरान मुकदमें में धारा 65(1) भा0न्या0सं0 व 5एल/6 पोक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट की वृद्धि की गयी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्कल संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, निर्देशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री इन्द्रेश कुमार के कुशल नेतृत्व में थाना गंगोह पुलिस टीम द्वारा दिनांक 11.08.2026 को उपरोक्त मुकदमें मे वांछित अभियुक्त ***अंकुश पुत्र आसकिरण निवासी मौहल्ला सराय कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर*** *को मुखबिर की सूचना पर लखनौती रोड से ग्राम बुड्डाखेडा जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अंकुश पुत्र आसकिरण निवासी मौ0 सराय कस्बा व थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 प्रेमपाल सिंह थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।
2. का0 957 सूरजपाल थाना गंगोह जनपद सहारनपुर ।

दिनांक:12-08-2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

*अवगत कराना है कि **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर** के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में दिनांक 11.08.2026 को थाना कोतवाली मण्डी पुलिस द्वारा 01 नफर वारण्टी **अभियुक्त फारुख उर्फ भोला पुत्र इक्तार अहमद निवासी कोडेवन्दान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर हाल राशिद विहार कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता दानिश गार्डन खूंगर कालोनी के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर (सम्बन्धित वाद संख्या 5063/25 व मु0अ0सं0 34/04 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजि0 – 2 सहारनपुर)** को उसके मसकन से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

फारुख उर्फ भोला पुत्र इक्तार अहमद निवासी कोडेवन्दान थाना कोतवाली नगर सहारनपुर हाल राशिद विहार कालोनी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर हाल पता दानिश गार्डन खूंगर कालोनी के पास थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. *उ0नि0 श्री गजेन्द्र सिंह थाना मण्डी सहारनपुर*
2. *का0 2358 तरुण कुमार थाना मण्डी सहारनपुर*

-प्रेस नोट-
"ऑपरेशन सवेरा"

दिनांक 12.08.2026

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

सहारनपुर पुलिस की नशा तस्करों के विरूद्ध कडी कार्यवाही

थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 84.90 ग्राम चरस बरामद

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा" – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"** अभियान चलाया जा रहा है।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा के कुशल नेतृत्व में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा आज दिनांक 12.08.2026 को पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 नशा तस्कर अभियुक्त **आमिर पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम शेरपुर थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर** को बिजली घर ग्राम फतेहपुर भादो से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 84.90 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 316 26/धारा एनडीपीएस एक्ट 20/8के पंजीकृत किया गया है अभियुक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

आमिर पुत्र दिलशाद निवासी शेरपुर थाना बिहारीगढ थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर

बरामदगी का विवरण -

- *84.90 ग्राम चरस*

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास –

- *मु0अ0स0 316/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना फतेहपुर सहारनपुर*
- *मु0अ0सं0 18/26 धारा 64(1)/351(2) बीएनएस थाना बिहारीगढ जिला सहारनपुर*

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर*
2. *उ0नि0 श्री विजयपाल सिंह थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*
3. *है0का0 961 रोहित राणा थाना फतेहपुर सहारनपुर*
4. *है0का0 307 प्रदीप कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर*

दिनांक-12.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मात्र 12 घण्टे में चोरी की घटना का अनावरण करते हुए 02 शातिर चोर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशानदेही पर मिश्रित लकडी करीब 03 कुन्तल 90 किलोग्राम बरामद

अवगत कराना है कि दिनाकं 11.08.2026 को सोनू ठेकेदार पुत्र नजीर अहमद निवासी ग्राम पाडलीग्रान्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण अभि0 गण 1.आरिफ पुत्र मंजूर 2.आकिल पुत्रबासित 3.नवाब पुत्र शमशाद 4.नवाब का भाई नाम नामालूम निवासी गण ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर के द्वारा वादी की लकडी की टेल से लकडी चोरी करने के सम्बन्ध मे थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 236/26 धारा 303(2) बीएनएस पजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिये गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मात्र 12 घण्टे में मुकदमा उपरोक्त में ***02 वांछित अभियुक्तगण 1.आरिफ पुत्र मंजूर व 2.आकिल पुत्र बासित नाम शाहपुर गाडा रोड थाना मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*** *को चैकिग के दौरान शाहपुर रंपटा के पास ग्राम जसमौर जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशांदेही पर चोरी हुए लकडी कुल वजन करीब 03 कुन्तल 90 किग्रा0 बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपोक्त में धारा 317(2)3(5) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।*

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरणः-

1. *आरिफ पुत्र मंजूर निवासी ग्राम शाहपुर गाडा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
2. *आकिल पुत्र बासित निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*

बरामदगी का विवरणः-

03 कुन्तल लकड़ी 90 किलो

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. *उ0नि0 नरेश कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।*
2. *हे0का0 891 अमित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*
3. *रि0का0 1508 कुंवरपाल सिह तैनाती थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।*

दिनांक- 12.08.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना चिलकाना पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण एंव वान्छित/ वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन मे श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर एंव क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री विनोद कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.08.2026 को थाना चिलकाना पुलिस टीम द्वारा चेकिंग व दबिश के दौरान ***01 वारण्टी अभियुक्त नय्याब उर्फ लाल पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला कोठीवाला सुल्तानपुर थाना चिलकाना जिला सहारनपुर*** *को सम्बन्धित मु0अ0-सं0 36/18 वाद सं0-3575/23 धारा 379 भादवि चालानी थाना चिलकाना न्यायालय श्रीमान जे0एम0 द्वितीय सहारनपुर नियत तिथि 12.08.2026 मोहल्ला कोठीवाला सुल्तानपुर थाना चिलकाना से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार वारण्टी अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।*

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

नय्याब उर्फ लाल पुत्र यासीन निवासी मौहल्ला कोठीवाला सुल्तानपुर थाना चिलकाना, सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का विवरण-

1. *उ0नि0 श्री नरेन्द्र कुमार सोलंकी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर ।*
2. *का0 978 विपिन नैन थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*
3. *का0 638 गिरीश कुमार थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 12.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरणः-

दिनांक 11.08.2026 को वादी सिराज खाँन पुत्र सरफराज निवासी कलसिया रोड थाना मण्डी सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत डिम्पल s/o पदम कुमार निवासी जाटव नगर थाना कुतुबशेर सहारनपुर द्वारा जान से मारने की नियत से चाकु से वार करना व गली गलौच करने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 394/26 धारा 109.352 बीएनएस में पंजीकृत कराया गया था।

पुलिस कार्यवाहीः-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक सदर बाजार श्री चन्द्रसैन सैनी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 12.08.2026 को थाना सदर बाजार द्वारा मु0अ0स0 394/26 धारा 109,352 बीएनएस थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर के **01 वांछित अभियुक्त डिम्पल पुत्र पदम कुमार उर्फ प्रदीप निवासी जाटव नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर** को स्टेडियम रोड से गंगोह अड्डे की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यावाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त का नाम पताः-

डिम्पल पुत्र पदम कुमार उर्फ प्रदीप निवासी जाटव नगर थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर

अभियुक्त का अपराधिक इतिहास

मु0अ0स0 238/17 धारा 307, 323, 504, 506 भादवि थाना कुतुबशेर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम

1. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्रसैन सैनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. उ0नि0 गौरव कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
3. है0का0 1041 सोहित कुमार थाना सदर बाजार सहारनपुर
4. रि0का0 2134 भानू थाना सदर बाजार सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक-12.08.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर द्वारा गौकशी के मुकदमें में 02 अभियुक्तों को 06 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 06 लाख रूपये (प्रत्येक को 03-03 लाख रूपये) के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है, कि दिनांक 12.12.2021 को वादी उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर की सूचना पर अभियुक्तगण 1- मौहम्मद अली पुत्र अब्दुल वहीद निवासी चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन स0पुर 2- साजिद पुत्र इस्लाम निवासी चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारन स0पुर द्वारा गौकशी करने व मौके पर 10 किलो गौमांश व गौकशी के उपकरण पकडे जाने की सूचना पर मु0अ0सं0-395/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर पर पंजीकृत कराया गया। जिसमें उपरोक्त विवेचना अभियोग एसटी नं0-378/2023 पर माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में ***OPERATION CONVICTION*** *में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासों के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश कक्ष संख्या-03 जनपद सहारनपुर द्वारा* ***आज दिनांक 12.08.2026 को अभियुक्तगण 1- मौहम्मद अली पुत्र नाहिद निवासी चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर व 2- साजिद पुत्र इस्लाम निवासी चुनहेटी गाडा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर को थाना रामपुर मनिहारान पर पंजीकृत मु0अ0सं0-395/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम में दोषी पाते हुए 06 वर्ष का कठोर कारावास व प्रत्येक को 03-03 लाख रूपये के अर्थदण्ड से*** *दण्डित किया गया।*

शासकीय अधिवक्ता- (एडीजीसी) श्री दीपक सैनी।
विवेचक- उ0नि0 श्री राजकुमार थाना रामपुर मनिहारीन।
पैरोकार-है0का0 विक्रांत थाना रामपुर मनिहारीन सहारनपुर।